केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं. 61/टीएल/2024 दिनांक: 28.4.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

हलवाद ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110021 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) "फेस–III भाग के अधीन खावदा आरई पार्क से आरई पावर के अतिरिक्त 7 जीडब्ल्यू की निकासी के लिए पारेषण योजना" स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14, 15 और 79(1) (ङ) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी
1.	765 केवी, 2x330 एमवीएआर बस रिएक्टर सहित 765 केवी हलवाद स्विचिंग स्टेशन की स्थापना	24 माह
2.	केपीएस 2 (जीआईएस) – हलवाद 765 केवी डी/सी लाइन	
3.	केपीएस 2 के दोनों सिरों पर प्रत्येक सीकेटी पर 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – हलवाद 765 केवी डी/सी लाइन	
4	केपीएस 2 की समाप्ति के लिए केपीएस 2 पर 765 केवी जीआईएस लाइन बे का 2 नं. – हलवाद 765 केवी डी/सी लाइन	
5	हलवाद में लकाड़िया – अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन का लीलो	

नोट: केपीएस 2 का विकासकर्ता केपीएस 2 (जीआईएस) – हलवाद 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी लाइन बे के 2 नं. के कार्यान्वयन के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 10.01.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 61/टीएल/2024 में दिनांक 24.04.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. हलवाद ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.adanienergysolutions.com** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(5) के खंड(क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **13.05.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **22.05.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव